न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

प्रकरण संख्याः— 128/2018 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

..... **प्रार्थी**

बनाम

श्री कृष्णा स्टोन क्रेशर महलपुर काछी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

1. शैलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मदनलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कोठी दलवीरसिंह पुलिस लाईन के पास भरतपुर।

.....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राज0 भू—राजस्व अधि0 1956 आदेश विरूद्ध उपखण्डाधिकारी रूपवास के भूमि रूपान्तरण आदेश 27.5.2002 वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ श्री कृष्णा स्टोन क्रेशर महलपुर काछी तहसील रूपवास।

उपस्थित :

1. पैरोकार सरकार
2. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अप्रार्थी ।

निर्णय

दिनांक : 20.6.2018

प्रार्थी तहसीलदार भुसावर (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ख0नं0 837/608 रकबा 10—18 बीघा वाकै ग्राम महलपुर काछी तहसील रूपवास अप्रार्थी के नाम 135, 436 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है अप्रार्थी के इस उक्त खातेदारी रकबा से 3301—2 वर्ग मीटर भूमि रूपान्तरण उपखण्डाधिकारी रूपवास के आदेश दिनांक 27.5.2002 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ अप्रार्थी के हक में किया गया था। जिसे भूमि रूपान्तरण नियमों के विपरीत पाये जाने के कारण भूमिधारी की हैसियत से यह रैंफरेंस वास्ते भू सम्परिवर्तन आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जिसमें अंकित किया है कि विवादित संपरिवर्तित भूमि ख0नं0 837/608 रकबा 10—18 बीघा वाकै ग्राम महलपुर काछी तहसील रूपवास अप्रार्थी के नाम 135, 436 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। जिसकी पुष्टि वर्तमान जमाबन्दी संवत 2070—2073 से होती है। अप्रार्थी की इस खातेदारी भूमि में से 3301—2 वर्गमीटर का उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा अप्रार्थी के हक में औद्योगिक/कृष्णा प्रयोजनार्थ भूमिरूपान्तरण आदेश दिनांक 27.5. 2002 जारी किया गया जो बाद जांच स्टोन क्रेशर प्रयोजनार्थ नियमों के विपरीत पाया गया है और प्रार्थी/तहसीलदार लैण्ड होल्डर की हैसियत से रैंफरेंस प्रस्तुत करने में सक्षम है। उक्त परिवर्तित भूमि में स्थापित स्टोन क्रेशर के उत्तर दिशा के ग्राम महरपुर काछी की आबादी से 700 मीटर की दूरी पर है इसलिऐ यह क्रेशर आबादी से निर्धारित दूरी पर नहीं है। इसके अलावा यह स्टोन क्रेशर T-ZONE (ताजमहल—जोन) के अंतर्गत आता है। मौके पर क्रेशर की चार दिवारी का निर्माण नहीं किया गया है। इस स्टोन क्रेशर पर कन्वेयर

टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम भी स्थापित नहीं है और न ही क्रेशर के एक तिहाई भाग में वृक्षारोपण किया गया है। इस स्टोन क्रेशर के संचालित रहने से धूल मिट्टी उडती रहती है जिससे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। तहसीलदार भुसावर द्वारा उपरोक्तानुसार रैफरेंस प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निर्धारित मापदण्ड मुताबिक उक्त स्टोन क्रेशर स्थापित नहीं होने के कारण संपरिवर्तन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। अन्त में निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र रैफरेंस स्वीकार किया जाकर आ0ख0नं0 837/608 रकबा 10–18 वीघा वाकै ग्राम महलपुर काछी तहसील रूपवास में स्थिापित श्री कृष्णा स्टोन क्रेशर हेतु उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा जारी 3301–2 वर्ग मीटर के भूमि रूपान्तरण आदेश दिनांक 27.5.2002 को निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी मय वकील श्री दुलीचंद शर्मा उपस्थित आये। नियत दिनांक को उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये रैफरेंस में अंकित सभी तथ्यों को रिकार्ड एवं मौके से विपरीत होना जाहिर करते हुये अपनी बहस तर्कों में मुख्य कथन किया है कि यह रूपान्तरण उस समय प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानक पूरे होने पर किया गया है जो आज भी विधिवत है। वर्ष 2007 के संपरिवर्तन नियम इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी का भूमि रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तत्कालीन तहसीलदार रूपवास व अन्य राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट चैक लिस्ट के आधार पर अप्रार्थी के स्टोन क्रेशर की निर्धारित आबादी क्षेत्र की दूरी से अधिक स्थित होने के कारण ही भूमि का रूपान्तरण किया गया है। इसके अलावा यह रूपान्तरण राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के तहत उक्त रिपोर्ट के आधार पर किया गया है जो तत्कालीन नियमों के परिपेक्ष्य में बाद जांच नियमानुसार पाये जाने पर ही किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी की स्टोन क्रेशर पर चार दिवारी का निर्माण हो रहा है एवं क्रेशर संचालन में पानी की मात्रा का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है तथा रास्ते में पानी का छिडकाव भी किया जाता है अन्य जो कथन टीनशैड वाटर कम्प्रेशर सिस्टम एवं वृक्षारोपण की जो अनियमितता प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित की गई है वह मौके के विपरीत है। अप्रार्थी द्वारा पर्यावरण व लोगों के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुये ध्यान रखते हुये ही स्टोन क्रेशर का संचालन किया जा रहा है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा स्टोन क्रेशर संचालन हेतु राज0 राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियम व निर्देशों की पालना की जा रही है। वर्तमान में समस्त विधिक औपचारिकताऐं पूर्ण है तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने भी कोई एतराज नहीं किया है और ना ही क्रेशर से कोई प्रदूषण होना माना गया है। वास्तव में अप्रार्थी का स्टोन क्रेशर आबादी की निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित है। तहसीलदार रूपवास के द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में आबादी की गणना खेतों में बसे घरों की जाकर अपने प्रार्थना पत्र में अनियमितता होना अंकित किया गया है जबकि राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0. 10(8) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(98) राज.6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। जिसमें दूरी मुख्य आबादी की बाहरी सीमा से गणना योग्य है। ढाणी से दूरी का कोई अर्थ नहीं मुख्य आबादी से दूरी मायने रखती है। उनका यह भी कथन है कि वक्त भूमि रूपान्तरण आदेश तिथि को गांव की मुख्य आबादी से निर्धारित दूरी पर ही मौके पर स्थित होने के कारण ही चैक लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार रूपान्तरण किया गया है। जिसमें प्रस्तावित भूमि को आबादी से 1.5 कि0मी0 दूरी पर होना स्पष्ट अंकित किया है। इसके अलावा वकील प्रार्थी का यह भी तर्क है कि जिस आदेश को तहसीलदार ने इस रैफरेंस के मार्फत चुनौती दी है उस आदेश की प्रति भी रैफरेस के साथ संलग्न नहीं की है । बिना रैफरेंसाधीन आदेश के यह रैफरेंस मण्डल को प्रस्तावित नहीं किया जा सकता।

प्राधिकृत अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास के आदेश भूमि रूपान्तरण के विरूद्ध रैफरेंस प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे। अतः प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना पत्र मौके के विपरीत अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजकीय अभिभाषक एवं वकील अप्रार्थी की बहस तर्कों पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में मुख्यतः बिन्दु जो उठाये है वह रूपान्तरित भूमि का आबादी से निर्धारित दूरी पर न होना, मौके पर क्रेशर की चार दिवारी कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम वृक्षारोपण का अभाव एवं क्रेशर से वायु प्रदूषण होना माना है। आबादी भूमि से प्रस्तावित स्थल की दूरी उस समय के प्रावधानानुसार देखी जायेगी न कि वर्तमान प्रावधानानुसार। दौराने रूपान्तरण तैयार की गई चैक लिस्ट में दूरी 1500 कि0मी0 से अधिक अंकित होना अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है। किन्तु जिस आदेश को इस रैफरेंस में चुनौती दी गई है उस आदेश की प्रति ही रैफरेंस के साथ संलग्न नहीं की गई है। ऐसे में जब जिस आदेश को चुनौती दी गई है उस आदेश की प्रति ही संलग्न नहीं है तो रैफरेंस पर कैसे विचार किया जा सकता है। साथ ही राजस्व मण्डल अजमेर को भी ऐसा अपूर्ण रैफरेंस अग्रेषित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2002 में नियमानुसार औपचारिकताऐं पूर्ण कर जारी रूपान्तरण आदेश में अंकित प्रस्तावित भूमि की दूरी पर आज प्रश्नचिन्ह लगाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0. 10(8) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(98) राज.6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा भी आबादी की गणना के संबध में स्पष्ट किया है कि आबादी की दूरी की गणना गांव की मुख्य आबादी से होगी न कि गांव की ढाणी अथवा मजरे से। यह दूरी दौराने पारित आदेश के वक्त देखी जानी होती है। यह रूपान्तरण आदेश राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नियमानुसार निर्धारित तय दूरी होने पर ही उक्त आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त रूपान्तरण आदेश के परिपेक्ष्य में जो नामान्तरकरण खोला गया है उसे भी अभी तक कोई चुनौती नहीं दी गई है। जहां तक प्रदूषण एवं अन्य मानदण्डों की बात है उसके लिये रैफरेंसकर्ता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को लिखने हेतु स्वतन्त्र है । पर्यावरण प्रदूषण संबधी कानून एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 दोनो ही अपने आप पृथक–पृथक सारगर्भित एवं परिपूर्ण कानूनी प्रक्रियाऐं है जिन्हें एक साथ मिला कर देखा जाना विधसम्मत एवं न्यायोचित नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन रैफरेंस विरोधाभासी तथ्यों एवं रैफरेंसाधीन आदेश के अभाव के कारण स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

अतः प्रार्थनापत्र रैफरेंस अपूर्ण होने से उपरोक्त विवेचनानुसार इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तहसीलदार (रैफरेंसकर्ता) रूपवास स्वयं के स्तर पर दूरी संबधी जांच कर दस्तावेजों की पूर्ति कर यदि कोई विरोधाभास पाया जाये तो नये सिरे से कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगें। रैफरेंस प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.6.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील संख्या 104/2016 (अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट)

गोपाल पुत्र उदयराम जाति नाई निवासी खानसूरजापुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. किशनलाल पुत्र रतीराम जाति जाटव निवासी खानसूरजापुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

असल रैस्पोडेन्ट प्रार्थी

2. गम्भीर
3. सोहनलाल
4. विष्णु पुत्र रामवीर

} पिसरान गोपाल } जाति नाई निवासी खानसूरजापुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

तरतीवी रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रूपवास व मुकदमा प्रकरण संख्या 5/2015 किशनलाल बनाम गोपाल निर्णय दिनांक 11.4.2016 अंतर्गत धारा 183 (बी) आरटीएक्ट

उपस्थिति :
1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता वकील अपीलान्ट।
2. श्री ओंकारसिंह वकील रैस्पोडेन्ट।
3. श्री एम0एल0 तिवारी वकील रैस्पोडेन्ट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक : 21.6.2018

यह अपील राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अंतर्गत तहसीलदार रूपवास की आज्ञा दिनांक 11.4.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के समक्ष रैस्पोडेन्ट किशनलाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसमें अंकित करते हुये कि उसकी खातेदारी कब्जेकाश्त आराजी खसरा नम्बर 2629/1033 रकबा 9 विस्बा, 2631/1034 रकबा 12 विस्बा वाकै ग्राम खानसूरजापुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। प्रार्थी किशनलाल उपर्युक्त भूमि को संयुक्त रूप से अपने सहखातेदारों के साथ काश्त करता चला आ रहा था, लेकिन अपीलान्ट गोपाल वगैरह द्वारा लठ्ठ के बल पर अतिक्रमण कर लिया है। अतः कब्जा वापिस दिलाया जावे। तहत अदालत तहसीलदार रूपवास द्वारा बाद कार्यवाही रैस्पो0/किशनलाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपीलधीन आदेश दिनांक 11.4.2016 के जरिये अपीलान्ट वगैरह को आराजी खसरा नम्बर

2629/1033 रकबा 9 विस्बा, 2631/1034 रकबा 12 विस्बा वाकै ग्राम खानसूरजापुर से धारा 183 बी आर0टी0एक्ट के अंतर्गत तुरन्त प्रभाव से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 2629/1033 रकबा 9 विस्बा, 2631/1034 रकबा 12 विस्बा वाकै ग्राम खानसूरजापुर से बेदखल करने के आदेश दिये है जबकि इन नम्बरों में रैस्पोडेन्ट असल 5/6 हिस्से में से भी 1/5 हिस्से का खातेदार अंकित है और इसमें अन्य सहखातेदार अंकित है तथा आराजी अविभाजित है तब अकेले असल रैस्पोडेन्ट को 83 बी आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र पेश करने व आराजी का कब्जा लेने का कोई अधिकार नहीं है और अन्य सहखातेदारों को अपीलान्ट के कब्जे से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है उन्हें 183 बी आरटएक्ट के प्रार्थना पत्र में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि उक्त विवादित खसरा नम्बरों से चिपटवां अपीलान्ट का ख0नं0 1039 है जिसकी डोल मेड हो रही है असल रैस्पोडेन्ट प्रार्थना पत्र की आड में अपीलान्ट के खातेदारी के ख0नं0 1039 पर कब्जा करना चाहता है। तहसीलदार ने अभी तक मेरे खसरा नम्बर की नाप नहीं करवाई है। ऐसी स्थिति में बिना नाप प्रार्थना पत्र 183 बी आरटीएक्ट संधारण योग्य नहीं है। असल रैस्पो0 द्वारा धारा 188 आरटीएक्ट का दावा भी किया था जो वर्तमान में एसडीओ रूपवास के यहां लम्बित है तव दावा 188 आरटीएक्ट लम्बित रहते 183 बी आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र मेन्टेबिल ही नहीं है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट ने 1995–98 में अपने खर्चा पर पक्का कूआ निर्माण करवाया तथा विवादित खसरा नम्बरान को मेंहदी सरपंच ने जवानी क्रय कर रखा था और उसका कब्जा था उसने अपीलान्ट से पैसे लेकर अपीलान्ट को कब्जा दे दिया तब अनुसूचित जाति की जमीन होने के कारण न तो मेंहदी के पक्ष में बयनामा हुआ और न ही अपीलान्ट के पक्ष में बयनामा हुआ लेकिन इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं किया है। वकील अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि सारी कार्यवाही होने के बाद असल रैस्पो0 ने यह कहीं नहीं लिखा है कि धारा 183 बी आरटीएक्ट के लिये विवाद कब पैदा हुआ क्यों कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्ट का 21 वर्ष से लगातार कब्जा बताया गया है तब 12 वर्ष के बाद असल रैस्पो0 कब्जा लेने का अधिकारी नहीं है। चूंकि अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी दिनांक 9.6.2016 को रैस्पो0 के द्वारा धमकी दिये जाने पर इसकी जानकारी हुई तदोपरान्त 10.6.2016 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया तथा 13.6.2016 को नकल प्राप्त हुई है और वकील से सलाह मशविरा कर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद शुमार की जावे।

पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र संलग्न है अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.4.2016 अपास्त किया जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.4.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि आराजी खसरा नम्बर 2629/1033 रकबा 9 विस्बा, 2631/1034 रकबा 12 विस्बा वाकै ग्राम खानसूरजापुर तहसील रूपवास में स्थित है जिसका रैस्पोडेन्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। अपनी खातेदारी की आराजी पर संयुक्त रूप से रैस्पोडेन्ट किशनलाल जो जाति से जाटव है और अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है अपने सहखातेदारों के साथ काश्त करता चला आ रहा है, लेकिन अपीलान्ट गोपाल जो सवर्ग जाति का व्यक्ति है एवं दंबग किस्म का व्यक्ति है ने जबरन लठ्ठ के बल से रैस्पोडेन्ट की उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया है और उसे छोडने को तैयार नहीं है इसलिऐ एक सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की रिकार्डेड खातेदारी की आराजी को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिये रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी आरटीएक्ट पेश किया जिस पर तहत अदालत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसके तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 2629/1033 रकबा 9 विस्बा, 2631/1034 रकबा 12 विस्बा वाकै ग्राम खानसूरजापुर से तुरन्त प्रभाव से बेदखल करने के आदेश दिये गये है। यह अपील बेबुनियाद तथ्यों पर पेश की गई है। अपीलान्ट का उक्त विवादित आराजी से कोई भी सरोकार नहीं है न तो इनके द्वारा कोई दस्तावेजी रिकार्ड अदालत हाजा के समक्ष पेश किया गया है केवल अवैध अतिक्रमण कर लेने से या सरपंच द्वारा मौखिक विक्रय करन देने वाली मनगढत बात के आधार पर किसी के खातेदारी अधिकारों से उसे महरूम नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट ने अपनी अपीलमीमो में भी रैस्पोडेन्ट को उक्त आराजी पर रिकार्डेड सहखातेदार स्वीकार किया है। एक तरफ तो रैस्पोडेन्ट को उक्त आराजी पर रिकार्डेड सहखातेदार स्वीकार करते है दूसरी ओर उक्त आराजी पर बिना किसी रिकार्ड बिना किसी हक हकूक के अवैध अतिक्रमण/कब्जा किये हुये है। अपीलान्ट कभी 188 के दावे का जिक्र करते है कभी रैस्पो0 को 1/5 हिस्से का खातेदार स्वयं मानते है, कभी कहते है कि सहखातेदारान को अपीलान्ट के इस अतिक्रमण से कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु इस तथ्य को क्लीयर नहीं कर रहे है कि वे स्वयं किस हैसियत से विवादित आराजी पर अतिक्रमण किये हुये है। वास्तविकता यह है कि उक्त विवादित आराजी में रैस्पोडेन्ट

(अनुसूचित जाति का व्यक्ति) सहखातेदार है और उस पर अपीलान्ट (सवर्ण जाति का व्यक्ति) ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलान्ट द्वारा न तो तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के समक्ष और न ही अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कोई भी हक हकूक साबित होता हो। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य ही रहती है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाकर तहत अदालत तहसीलदार रूपवास का आदेश दिनांक 11.4.2016 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि

"Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील में मुख्यतः यह बिन्दु तय किया जाना है कि क्या वास्तव में विवादित आराजी पर अपीलान्ट के द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है अथवा नहीं ? क्या अपीलान्ट रैस्पोडेन्ट की खातेदारी में कोई अपना हक हकूक रखते है ? यदि नहीं रखते है तो किस हैसियत से रैस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि पर काबिज है ? मौके पर किसी खातेदार की आराजी पर किसी अतिक्रमी का अवैध कब्जा पाये जाने पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्यवाही कर उसका हटाया जाना हमारे ख्याल से न्याय संगत रहता है साथ ही यह तहत अदालत का दायित्व भी है। धारा 188 आरटीएक्ट के तहत दावा विचाराधीन होना एक अलग बिन्दु है। यदि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कोई विधिक हकूक है ही नहीं तो उसे वेदखल किया जाना ही न्याय है। विवादित आराजी व उसके रिकार्ड/मौके की वास्तविकता से रूबरू होते हुये तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र 183 बी को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया गया है। जिसके लिये तहत अदालत पूर्णरूपेण सक्षम है। तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2068 लगायत

2071 में भी रैस्पो0 किशनलाल का नाम अंकित है । जब राजस्व रिकार्ड में रैस्पोडेन्ट का नाम वखूबी इन्द्राज है तो फिर अपीलान्ट का इस आराजी पर कोई भी कब्जा अवैध कब्जे की श्रेणी में ही आता है। जिसे अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना ही न्यायोचित रहता है। आर0टी0एक्ट की धारा 42 (ख) एवं धारा 183 बी के अंतर्गत पिछडे और कमजोर वर्गों के हितो/ हक हकूको की सुरक्षा के संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान दिये गये है। जिनको अपीलाधीन आदेश के अंतर्गत वखूबी अमल में लाया गया है। अधिनियम की धारा 183 बी में संक्षिप्त कार्यवाही का प्रावधान अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिसकी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है को त्वरित कार्यवाही करके राहत दिलाने के लिये किया गया है। जिसके परिपेक्ष्य में तहत अदालत तहसीलदार रूपवास द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.4.2016 पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी नहीं पाते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार रूपवास द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.4.2016 यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official